



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

29 दिसंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बोटोड पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटोड को प्रदान लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि बोटोड पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटोड को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि बोटोड पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटोड को दिया गया दिनांक 17 फरवरी 1998 का लाइसेंस, 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि बोटोड पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटोड के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, दि बोटोड पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटोड, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1578

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक